

बिहार विधान परिषद

(बिहार विधान परिषद् का 194वां बजट सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

26 फरवरी 2020

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी] .

Total Short Notice Question- 12

अनुदान मुहैया कबतक

*11 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):

Will the **आपदा प्रबंधन** be pleased to state:-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में प्राकृतिक आपदा में प्रभावितों को अनुदान देने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 150 करोड़ रुपये अग्रिम भुगतान की स्वीकृति दिनांक – 21.01.2020 को कैबिनेट की बैठक में दी गई है, जिनमें प्राकृतिक आपदाओं में आंधी-तूफान, किसी जल स्रोत में डूबने से हुई मृत्यु को भी शामिल किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि इसी कारण पटना, भागलपुर, जमुई समेत अन्य जिलों से अनुग्रह अनुदान के लिए विभाग के समक्ष अधिक मामले आ रहे हैं, जिनके लिए 142 करोड़ पहले से स्वीकृत है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलायेगी कि अभी तक विभाग के पास प्राकृतिक आपदा के कितने मामले आये हैं, कितने मृतक परिजनों को अनुग्रह अनुदान मुहैया कराया गया है और कितने मामले लंबित हैं और उन पर क्या कार्रवाई की जा रह है ?

उद्यान का सौन्दर्यकरण

*12 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):

Will the **नगर विकास एवं आवास** be pleased to state:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि खगडि़या जिला मुख्यालय स्थित राजेन्द्र सरोवर उद्यान की स्थिति बदहाल है जिसके लिए अभी तक कोई कार्ययोजना नहीं बनाई गई है;

(ख) यदि उपरोक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसके जीर्णोद्धार तथा सौंदर्यीकरण का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

राशन कार्ड नहीं

***13 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

Will the **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण** be pleased to state:-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर छूटे हुए लाभुकों को अविलम्ब नया राशन कार्ड देने की व्यवस्था है ;

(ख) क्या यह सही है कि लोक सेवा अधिकार कानून के तहत आवेदन जमा किये जाने के बावजूद पटना जिला में गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे 30 हजार से अधिक लोग राशन कार्ड नहीं मिलने से परेशान हैं;

(ग) क्या यह सही है कि पटना महानगर के स्लम एरिया के अधिकांश लोग नया राशन कार्ड से वंचित हैं ;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खंड 'ख' एवं खंड 'ग' में वर्णित गरीब लोगों को अबतक राशन कार्ड नहीं दिये जाने का क्या औचित्य है ?

राशन उपलब्ध कबतक

***14 श्री आदित्य नारायण पाण्डेय (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

Will the **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण** be pleased to state:-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज के बैकुंठपुर प्रखंड के 20 गांवों की जनता को दिसम्बर माह से जन वितरण प्रणाली से राशन नहीं मिल रहा है ;

(ख) क्या यह सही है कि राशन वितरण नहीं होने का कारण पीडीएस दुकानदारों को पी.ओ.एस. मशीन मुहैया नहीं होना बताया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दुकानदारों को कबतक पी.ओ.एस. मशीन उपलब्ध करायेगी, नहीं तो क्यों ?

प्रतिबंध से मुक्ति

***15 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

Will the **राजस्व एवं भूमि सुधार** be pleased to state:-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत गोपालगंज सदर अंचल स्थित ग्राम +मौजा बंजारी में एक सौ एक रैयती जमीन 2012 में जिला प्रशासन द्वारा अधिगृहीत कर ली गयी है और जमीन मालिकों को जमीन क्रय –विक्रय पर रोक लगा दी गई है, जिससे किसानों में भारी रोष एवं असंतोष व्याप्त है;

(ख) क्या यह सही है कि जमीन मालिकों को अभी तक अधिगृहीत जमीन की एवज में किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जा सका है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों को अधिगृहीत जमीन की एवज में सरकारी दर पर राशि मुहैया कराने एवं जमीन के क्रय- विक्रय पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति कबतक

***16 श्री कृष्ण कुमार सिंह (विधान सभा):**

Will the **नगर विकास एवं आवास** be pleased to state:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राजधानी के महत्वपूर्ण स्थान न्यू एरिया कदमकुआं, बुद्ध मूर्ति के पास आयुर्वेदिक कॉलेज व अस्पताल, तिब्बी कॉलेज व अस्पताल, राजकीय नेत्रहीन विद्यालय, जो पास –पास हैं के क्षेत्र की चारों तरफ अतिक्रमण कर फुटपाथ पर झोपड़ी का निर्माण कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त कॉलेजों के कारण पूरे बिहारवासी अपना उपचार कराने आते हैं, लेकिन अतिक्रमण के कारण यहां आने वाले मरीजों को काफी परेशानी होती है ;

(ग) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक – 03.07.2019 को उक्त स्थान को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है तथा संबंधित थाने को लिखित सूचना दे दी गई है;

(घ) क्या यह सही है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उक्त स्थान पर आज भी अतिक्रमणकारी अतिक्रमण कर दबंगता से रह रहे हैं, जिसके कारण यह महत्वपूर्ण स्थान अपनी पहचान खोते जा रही है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त महत्वपूर्ण

स्थान को अतिक्रमण मुक्त करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

कार्य पूरा कबतक

*17 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):

Will the नगर विकास एवं आवास be pleased to state:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने नमामी गंगे तहत बिहार के लिए अब तक कुल – 5858 करोड़ रुपए की 52 परियोजनाओं की स्वीकृति दी है;

(ख) क्या यह सही है कि पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग एन.एच.आई. और अन्य जगहों पर एन.ओ.सी. नहीं मिलने के कारण सीवरेज पाइप लाइन का काम रुका हुआ है ;

(ग) क्या यह सही है कि अभी तक नमामी गंगे योजना के तहत कौन – कौन सा कार्य पूरा किया गया है, पदाधिकारियों की लापरवाही के तहत कई योजनाओं की एनओसी अभी तक लंबित है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक नमामी गंगे योजना का कार्य पूरा कराना चाहती है ?

कार्रवाई कब तक

*18 श्री गुलाम रसूल (विधान सभा):

Will the नगर विकास एवं आवास be pleased to state:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार सरकार के महत्वपूर्ण संस्थान इंदिरा गांधी आर्युर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) राजा बाजार, पटना के मुख्य द्वार पर पार्किंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि वसूली स्थल पर ही जो समय दर अंकित है उसी का उल्लंघन करते हुए अस्पताल परिसर में सिर्फ ड्राप करके वापस आने वाले वाहनों से भी जबरन पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आई. जी.आई.एम.एस. के मुख्य द्वार पर अवैध पार्किंग शुल्क वसूलने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

समिति की सूची उपलब्ध कबतक

*19 श्री अर्जुन सहनी (विधान सभा):

Will the **सहकारिता** be pleased to state:-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार के बटवारे के पश्चात राज्य स्तर की जितनी भी सहकारी समितियां निबंधित हैं, वे सभी दी मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 की धारा 103 के अन्तर्गत स्वतः निबंधित हो गई हैं। उन समितियों में निबंधन सहयोग समितियां बिहार, पटना की अधिकारिता वर्ष 2000 में ही समाप्त हो गई है;

(ख) क्या यह सही है कि निबंधन कार्यालय सहयोग समितियां के पत्रांक – 3401, दिनांक – 20.04.2017 के द्वारा कुल – 14 समितियों के बारे में कुल इतने वर्षों के पश्चात दी मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है, इसके पूर्व 17 वर्षों तक निबंधित सहयोग समितियां अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करती रही हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताना चाहती है कि कुल कितनी समितियों से संबंध समितियों की सदस्यता सूची केन्द्रीय निबंधक सहयोग समितियां, नई दिल्ली को कबतक भेजना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

पेय जलापूर्ति सुनिश्चित कबतक

*20 श्री रामचन्द्र भारती (मनोनीत):

Will the **नगर विकास एवं आवास** be pleased to state:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सही है कि पटना शहर में जल-जमाव के बाद सितम्बर, 2019 में 112 पम्प हाउस के पानी की जांच करायी गयी जिसमें 3 पम्प का पानी खराब निकला जो पीने लायक नहीं था;

(ख) क्या यह सही है कि तीन पम्प के पानी की सप्लार्ड चौधरी टोला, टेकारी रोड और कंकड़बाग की डिफेंस कॉलोनी में पांच से छः हजार घरों में होती है, जहां के निवासी इन पम्पों के दूषित पानी पीने को मजबूर है;

(ग) क्या यह सही है कि इन पम्पों के पानी के ट्रीटमेंट हेतु पटना नगर निगम प्रशासन अभी फाइलों में ही उलझा हुआ है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र इन मुहल्लों में स्वच्छ पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक नहीं तो

क्यों ?

आर्थिक सहायता कबतक

*21 श्री दिलीप राय (सीतामढी स्थानीय प्राधिकार):

Will the आपदा प्रबंधन be pleased to state:-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढी जिला के रून्नी सैदपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित 12 हजार परिवारों को अभी गृह निर्माण हेतु आर्थिक सहायता नहीं दी गई है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

कार्रवाई कबतक

*22 श्री सतीश कुमार (विधान सभा):

Will the राजस्व एवं भूमि सुधार be pleased to state:-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, कैसरे हिन्द से लेकर खास महाल के श्रेणी में आने वाली भूमि पर अवैध कब्जा कर पक्की संरचना तक बना ली गई हैं;

(ख) क्या यह सही है कि मा. मुख्यमंत्री जी ने जिलावार निश्चय यात्रा तथा जल-जीवन-हरियाली यात्रा के क्रम में मोतिहारी मोतीझील में अवैध पक्का संरचना को अविलम्ब अतिक्रमण मुक्त करने हेतु आदेश दिया था;

(ग) क्या यह सही है कि अबतक जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा मोतीझील को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो मोतीझील, मोतिहारी को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराने हेतु जिलास्तरीय पदाधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

